

25.10.24

आज यह फरवली देश हुकूम वजुला पर
पक्ष करान उए०। हमने बहस उअपक्ष करान
अधि वस्त पर मनन किया जमा फरवली
एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिपोर्ट का अवलोकन
किया गया। बाहरी द्वारा जारी अधिवक्ता
अवगत कराया गया कि आ०ख० 306 ख०
1.29.20 है० बहि प्राप्त बल्लमगड में लिखत है
जिसे सम्पूर्ण हिसते पर बाहिनी बाहिनी काकि
काशत का ख० खोते दए है उक्त आराजि बाहिनी
के दहिमा खलुर प्रभूदप्राक द्वारा दिनांक 13.07.24
को जारी इकरारनामा जमा किया गया था अभी के
दहिमा खलुर व उन्की सखु के बाह्र ख० बाहिनी
काकि रह का काशत करही है।

तथा प्रतिवाहीगण ख०ख०। अज्ञात 5 की ओर
के दौरान बहस उन्के अधिवक्ता द्वारा अवगत
कराया कि विवदित आराजि प्रतिवाही एवं अज्ञात
पांच की खोते दारी सखि है तथा के नैके पर काकि
रह कर काशत कर रहे हैं तथा राजखि रिपोर्ट में
इके खोते दए है। तथा प्रति बाहिगण अधिवक्ता द्वारा
नजौर के रूप RRT १.37.11/128 2017 व RRT
2011-12 (SUPP) की कृपा प्रतेपा प्रस्तुत की गइ

अतः हमने बहस अधिवक्ता उअपक्ष पर
मनन एवं इसके प्रस्तुत दस्तावेजी रिपोर्ट का
भी भौति करने पर पाते हैं कि प्रतिवाहीगण ख०ख०
एक अज्ञात पांच रिपोर्ट खोते दार है तथा रिपोर्ट
खोते दार को अधिवाक निषेधाज्ञा से पाबन्द किया
जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः प्राथमिक पर
प्राची काकि किया जाता है दिनांक 14.10.24 को
अपी अन्तीम अधिवाक निषेधाज्ञा निरस्त की जाती है
फरवली फरवली सुमा ख०ख० नम्बर ३०० ए
बाद लकीम जमा दाकिम दफर है।

(अधेश्वर जीजा)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज.